सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्याः– 1689 / रा0नि0आ0–3 / 1379 / 2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1541 / IV(3)/2024-11(03निर्वा0)/ 2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के क्रम में एतद्द्वारा राज्य के समस्त जनपदों की **नगर पालिका परिषदों** एवं नगर पंचायतों **(नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी एवं गढीनेगी तथा नगर पालिका परिषद्, किच्छा, नरेन्द्रनगर को छोड़कर)** के **अध्यक्षों** तथा उनके **सदस्यों** का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढशलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

यदि किन्हीं नागर निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तद्नुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	**नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय**	**नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय**	**निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय**	**मतदान की तिथि व समय**	**मतगणना की तिथि व समय**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
27 दिसम्बर, 2024 से 30 दिसम्बर, 2024 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न) 05:00 बजे तक)	31 दिसम्बर, 2024 से 01 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	03 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	23 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न05:00 बजे तक)	25 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

क्रमश..........2

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकाय के पद/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन–2024–25 हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 24.12.2024** को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये समस्त निकायों के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेगें तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

7. उक्त समय–सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

<u>संख्याः– 1689 /रा0नि0आ0–3/1379/2013 (2024)तद्‌दिनांक।(मेल)</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमश..........3

7. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु नागर निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस **दिनांक 23.01.2025** को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
8. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
12. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), उत्तराखण्ड़।
13. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
18. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को **दिनांक 23.12.2024** के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
21. गार्ड फाईल।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।